मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में सत्यनिष्ठा संधि
(INTEGRITY PACT IN MBPT)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी व्ही सी) भारत सरकार के विभिन्न संगठन व्दारा किये गये लेन-देन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढावा रहा है. सीव्हीसी क लिए सार्वजनिक खरीद एक चिंता का क्षेत्र है. तथा उचित प्रणाली स्थापित करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं. इस संदर्भ में, सत्यनिष्ठा संधि (आईपी), ट्रान्सपरेन्सी इंटरनेशनल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) है, व्दारा एक हथियार के रुप में संकल्पित एवं प्रोन्नत हथियार है, जिसे सार्वजनिक ठेकों में भ्रष्टाचार रोकने को लक्ष्य करके बनाया गया था, उपयोगी पाया गया है. पोत परिवहन मंत्रालय व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय के अधीन सभी संगठन सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) का कार्यान्वयन करेंगे. सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के दायरे में एक निर्दिष्ट सीमारेखा मूल्य के उपर प्रत्येक ठेके/खरीद होंगी. सत्यनिष्ठा संधि में समाविष्ट ठेकों/खरीदों का निर्दिष्ट सीमा रेखा मूल्य इस प्रकार होगा जिससे वह संगठन के पिछले 3 वर्षो के सभी ठेकों /खरीदों/लेनदेनों का 95% का मूल्य उसमें समाविष्ट हो सके. वर्तमान में सीमा रेखा रु. 45 लाख निर्धारित की गयी है. सत्यनिष्ठा संधि वास्तव में भावी विक्रेताओं/बोलीकर्ताओं तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक समझौता है, जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि दोनों पक्ष के वचनबध्द व्यक्ति/ अधिकारी संविदा ठेके के किसी भी पहलू पर किसी भी स्तर पर किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेंगे. केवल वही विक्रेता/बोलीकर्ता जो स्वयं केपीटी सहित सत्यनिष्ठा संधि प्रति वचन बध्द होते हैं, वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे, किसी भी प्रकार का उल्लंघन बोलीकर्ताओं को अपात्र बना देना तथा भविष्य में किसी भी व्यावसायिक व्यवहार से बहिष्कृत रखा जाएगा. सत्यनिष्ठा संधि में किसी भी विशिष्ट ठेके के संबंध में ठेके के सभी चरणों को समाहित किया जाये, निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एन आई टी) स्तर/बोली-पूर्व के स्तर, से लेकर ठेके के पूरा होने के स्तर तक अर्थात अंतिम भुगतान अथवा वारंटी/गारंटी अवधि तक. सत्यनिष्ठा संधि स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) के मार्फत लागू की जाएगी, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी व्ही सी) के अनुमोदन से संगठन व्दारा नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा. स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर की नियुक्ति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा. निविदा दस्तावेज में स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के नाम का उल्लेख होगा. स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर स्वतंत्र रुप से पुनरीक्षा तथा निष्पक्षता से पक्षकारों ने सत्यनिष्ठा संधि के उनके दायित्वों का अनुपालन किस हद तक किया है इसका आंकलन करेगा. स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को ठेकों के सभी दस्तावेजों तक, जब भी आवश्यकता होगी देखने की पहुँच होगी. बोलीकर्ता को यदि कोई विवाद/शिकायतें हैं तो वे स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के समक्ष उठा सकते हैं. स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर उनको प्राप्त शिकायतों का परीक्षण करेंगे तथा पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें/मत देंगे. स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर व्दारा दी गयी सिफारिशें सुझाव के स्वरुप में होंगी तथा कानूनी तौर पर बाध्यकर नहीं होगी. उनकी भूमिका स्वतंत्र स्वरुप की है तथा एक बार दिया गया सुझाव संगठन के अनुरोध पर पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा. श्री पी. के. गोपीनाथ, भारतीय डाक सेवा (सेवा-निवृत्त) पूर्व सदस्य को नवम्बर 2016 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व्दारा स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आई ई एम) के रुप में नियुक्त किया गया है.